न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–391/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00351)

1. ग्यारसी देवी पत्नी नाथू
2. रामेश्वर पुत्र नाथू
3. मंगलचन्द पुत्र नाथू, समस्त जाति अहीर निवासी हरसोली तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री मदनलाल कूडी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 09.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 एवं 31.08.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम हरसोली तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 65/2, 73/2, 75/2, 89/2, 90/2, 210/3, 566/4, 799/31 है जो खसरा परिवर्तन होकर केवल खसरा नम्बर 59, 31/1/1, 65/2, 73/2, 75/2, 75/3, 89/2, 90/2, 210/3, 534, 566/4 से बने है जो सम्वत् 2059 से 2062 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज रही है जो उक्त दौराने ही आराजीयात माफी मंदिर श्री किशन बिहारी जी वाके किशनगढ के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात भूमि अपीलान्ट के पिता/पति स्व. नाथू पुत्र पूरा जाति अहीर के नाम कब्जे काश्त के आधार पर दर्ज की गई और नाथू की मृत्यु के बाद उक्त अराजीयात उसके विधिक वारिस के नाम दर्ज रही, उक्त आराजीयात सम्वत् 2008 से 2029 भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में नाथू पुत्र पूरा के नाम अंकित थी जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज एवं उसके बाद अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है जो पुख्ता मकानात मय विधुत कनेक्शन, कृषि कनेक्शन स्थापित कर निवास करते चले आ रहे है जिस तथ्य को दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर एवं न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करके अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य, सबूत

संभागीय आयुक्त
जयपुर

का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 800 दिनांक 27.07.2004 को माफी मंदिर श्री किशन बिहारी जी महाराज सा. देह के नाम तस्दीक कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अपीलान्ट्स के कथनों व बहस पर मनन व विचार किये बिना केवल मियाद जैसे तकनिकी कारण को महत्व देते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 को पारित किया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया गया है जिसमें मियाद का कोई बिन्दू लागू नही होता है तथा ऐसे अवैध आदेशों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिनके लिये मियाद कोई बंधन नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट बहस एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र भी दिनांक 31.08.2018 को विधि विरूद्ध तौर पर खारिज कर दिया गया, जो आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त विर्णित आराजीयात कभी भी माफी मंदिर की खातेदारी में दर्ज नही रही है, माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मंदिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक के कॉलम नम्बर 5 में अंकित नाथू का नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा नाथू की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनी जॉच पड़ताल करने के बाद दर्ज हुआ है तथा उसके उपरान्त अपीलान्ट आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट्स के पूर्वज व अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मंदिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित नाथू को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वो ही भूमियॉ उनकी खातेदारी में अंकित की गई परन्तु यहॉ पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी नाथू का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था, अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी काबिज काश्त खातेदार रहे एवं उनकी मृत्यु उपरान्त निरन्तर अपीलान्ट काबिज काश्त रहे है, राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एंव उसकी पालना में राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2010 भी स्पष्ट है, को दरकिनार करते हुये न्यायिक प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 42/2018 निर्णय दिनांक 31.08.2018 एवं अपील संख्या 73/2016 बउनवानी ग्यारसी देवी व अन्य बनाम राजसथान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 को खारिज फरमाया जाकर नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 800 आदेश दिनांक 27.07.2004 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने कारण उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकती है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का कोई लगान सन् 2004 से जमा नही करवाया गया है क्योंकि वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नही रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2018 में कोई विधिक त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का अवलोकन किया किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से 2029 की प्रतिलिपि अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर किशन बिहारी जी के नाम अंकित है एवं कृषक के खाना नम्बर पॉच में अपीलान्ट के पूर्वज नाथू वल्द पूरा काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही थी तथा नाथू पुत्र पुरा की काश्तकारी की भूमि थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निणर्य दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप मे प्रदत्त जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नही है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगें तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरूस्त की जाऐ जिससे स्पष्ट है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो नन्दाराम पुत्र मोहनलाल की खातेदारी में थी तथा उसके बाद नन्दाराम पुत्र मोहनलाल के वारिस अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रही है उसे उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेन्स के माफी मंदिर श्री किशन बिहारी वाके देह किशनगढ की खातेदारी में जरिये नामान्तररण संख्या 800 दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरकरण परिपत्र दिनांक 31.12.1991 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने को कोई निर्देश प्रदान नही किया गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिन्दु कोई बाधक नही है, वादग्रस्त नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधिविरूद्ध स्वीकार किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलााधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 व अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 31.08.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 800 वाके ग्राम रेनवाल पर उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।